www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 11 अक्टूबर 2019

दैनिक जागरण

जब कहने के लिए कुछ विशेष न हो तो बेहतर है कि चुप रहें

जीएसटी संग्रह में कमी

केंद्र सरकार के लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संग्रह में लगातार कमी का संज्ञान लेना आवश्यक हो गया था। वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकती थी कि सितंबर में जीएसटी संग्रह घटकर 91,916 करोड़ रुपये रह गया, जो अगस्त की तुलना में 6,286 करोड़ रुपये कम है। यह लगातार दूसरा महीना है जबकि जीएसटी संग्रह घटा है। इस सिलसिले को देखते हुए ही सरकार ने एक ऐसी समिति गठित करने का फैसला किया जो जीएसटी संग्रह में कमी के कारणों पर विचार करने के साथ ही टैक्स प्रशासन में सुधार के उपाय भी सुझाएगी। इस समिति को जिस तरह 15 दिनों के भीतर अपनी पहली रिपोर्ट सौंपने को कहा गया उससे सरकार की गंभीरता का ही पता चलता है, लेकिन बेहतर होता कि इस समिति में टैक्स अधिकारियों के अलावा कारोबार जगत के भी कुछ प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता। कम से कम यह तो होना ही चाहिए कि यह समिति कारोबार जगत के लोगों से विचार-विमर्श अवश्य करे। दरअसल टैक्स अधिकारियों के लिए यह जानना आवश्यक है कि व्यापारियों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? उम्मीद की जानी चाहिए कि उक्त समिति जीएसटी में सुधार के ऐसे ठोस उपाय सुझाने में सफल रहेगी जिससे यह टैक्स व्यवस्था और अधिक सुगम बनेगी।

निःसंदेह जरूरत केवल इसकी ही नहीं है कि जीएसटी व्यवस्था और अधिक सरल बने, बल्कि इसकी भी है कि टैक्स चोरी का सिलसिला थमे। यह ठीक नहीं कि जीएसटी चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। टैक्स चोरी में लिप्त लोगों को यह अहसास जितनी जल्दी हो जाए तो अच्छा कि यह सिलसिला अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। इसी के साथ सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाए गए कदम उन कारोबारियों की परेशानी का सबब न बनें जो अपना टैक्स ईमानदारी से चुका रहे हैं। चूंकि जीएसटी संग्रह में कमी से अर्थव्यवस्था में सुस्ती का भी संकेत मिलता है इसलिए सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि यह सुस्ती कैसे दूर हो? हालांकि वित्त मंत्रालय की ओर से अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन इसे लेकर अभी भी सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि इन कदमों से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ ही जाएगी। इसमें दोराय नहीं कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने वाला एक बड़ा कदम है, लेकिन बात तो तभी बनेगी जब उद्योगपति वास्तव में सक्रिय होंगे। बेहतर होगा कि सरकार जीएसटी संग्रह बढ़ाने के उपाय करने के साथ ही इस पर भी नजर बनाए रहे कि आर्थिक गतिविधियां अपेक्षित गति से तेजी पकड़ रही हैं या नहीं?

अब स्वास्थ्य का मोर्चा

पटना में जलजमाव समेत बिहार के 15 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को त्वरित राहत दिलाने के लिए सटीक रणनीति की आवश्यकता है। एक अनुमान के मुताबिक दोबारा बाढ़ और भारी बारिश की वजह से लगभग पंद्रह लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस आपदा के दौरान बांध, सड़क, पुल-पुलिया और फसलों को हुए नुकसान का आकलन तो किया ही जा रहा है, सबसे बड़ी चुनौती पिछले दस दिनों से पानी के बीच घिरे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर है। डेंगू के मरीज तेजी से बढ़े हैं। पटना के जलजमाव वाले मोहल्लों में शिकायतें ज्यादा हैं। जिन गली-मोहल्लों में जमा पानी सड़ रहा है वहां यथाशीघ्र जलनिकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी। साथ ही संक्रामक और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए ब्लीचिंग और चूने के साथ-साथ मच्छरों के लार्वा के शमन के लिए दवा का छिड़काव निर्बाध रूप से करना होगा। इस कार्य में शिथिलता न बरती जाए, इसके लिए निगरानी भी जरूरी है। डेंगू के मरीजों के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। मरीज अस्पताल तक पहुंच सकें, इसके लिए एंबुलेंस की सुलभता का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के इस मोर्चे पर सटीक रणनीति की जरूरत है, ताकि स्थिति पर नियंत्रण बना रहे। पटना के बाद भागलपुर में डेंगू की शिकायतें ज्यादा पाई गईं। हालांकि प्रायः जलजमाव प्रभावित जिलों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा डेंगू की शिकायतें मिली हैं। दूसरी ओर जलनिकासी के लिए जरूरी है कि नाले का पानी पर्याप्त मात्र में संप हाउस तक पहुंचे। भारी वर्षा के बाद भी पटना के कई संप हाउस की मशीनें पर्याप्त पानी न रहने के कारण बंद रहीं। चूंकि नालों के जहां-तहां अवरुद्ध रहने के कारण संप हाउस तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा था, इन नालों की सफाई भी यथाशीघ्र होनी चाहिए। जो क्षेत्र जलजमाव से मुक्त हो रहे हैं, वहां के कचरे की सफाई भी तत्परता के साथ की जानी चाहिए। विशेषकर फल और सब्जी मंडी में सड़े-गले फल और सब्जियों को शहर से बाहर करना होगा। बड़ी मात्र में फल और सब्जियों का नुकसान हुआ है। इसमें सर्वाधिक क्षति जलजमाव में कई दिनों तक खड़े ट्रकों में रखे फलों के सड़ जाने के कारण हुई है। जितनी जल्दी यह सूरत बदलेगी, दशहरा में मायूस हुए लोग दीपावली का उत्सव मना सकेंगे।

समावेश का संदेश देने वाला संबोधन

अद्वैता काला

विजयादशमी पर सरसंघचालक के संबोधन की मंशा भले ही स्वयंसेवकों को प्रेरित करने की हो, लेकिन उसमें समावेशन का साफ संदेश भी है

सरसंघचालक के विजयादशमी भाषण को लेकर खासी उत्सुकता रहती है। स्वाभाविक है कि इस बार भी यह कोई अपवाद नहीं था। डॉ. मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण के बाद तमाम तरह की चर्चाओं के दौर शुरू हो गए। सरसंघचालक के विजयादशमी भाषण की परंपरा बहुत पुरानी है जो प्रथम सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार के समय से चली आ रही है। पहले संबोधन में करीब 15 स्वयंसेवक शामिल हुए थे जिन्होंने समाज के भीतर काम करते हुए राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य से जुड़ने की राह चुनी थी। सरसंघचालक संघ परिवार के संरक्षक एवं मार्गदर्शक होते हैं। अपने इस वार्षिक संबोधन में वह स्वयंसेवकों के लिए प्राथमिकताओं का खाका खींचते हैं। साल दर साल इसके बिंदु भले बदल जाते हों, लेकिन मूल भाव वही रहता है। यह मूल भाव है समावेशन। इस वर्ष संघ के 94वें स्थापना दिवस पर सरसंघचालक ने ऐसे एकजुट राष्ट्र का आह्वान किया जो विविधता भरा हो और जिसमें तमाम पहचान समाहित हों। एक व्यक्ति के रूप में भी हमारी तमाम पहचान होती हैं जो भाषा, संस्कृति, लिंग और धार्मिक आधार से तय होती है, लेकिन जैसे तमाम नदियां अलग-अलग प्रवाहित होकर सागर में एकाकार हो जाती हैं वैसे ही इन सभी पहचानों को राष्ट्रवाद की एक धारा में अवश्य ही मिल जाना चाहिए।

बीते कुछ वर्षों में विशेषकर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को मिले पूर्ण जनादेश के बाद इन पहचानों को नुमाया करना और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष को तूल देने की तमाम कोशिशें हुई हैं। डॉ. भागवत ने इस गंभीर मसले पर स्पष्ट लहजे में बात रखी। उन्होंने विशेष रूप से मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा से जुड़े विमर्श की चर्चा की, जिसे कुछ निहित स्वार्थी लोग भारत को बदनाम करने के लिए गढ़ रहे हैं। सामाजिक तनाव एवं हिंसा दुर्भाग्यवश भारतीय समाज का हिस्सा रहे हैं। हालांकि बीते छह वर्षों में देश में ऐसा कोई भयावह दंगा नहीं हुआ जिसमें जान-माल की भारी हानि हुई हो। यह मोदी सरकार की खास उपलब्धि है कि देश में शांति का माहौल कायम रहा और सांप्रदायिक संघर्ष की कोई चिंगारी नहीं भड़की। हालांकि छिटपुट हिंसा के कुछ मामले जरूर सामने आए जिन्हें स्वार्थी तत्वों ने लिंचिंग का नाम दिया। भागवत ने लिंचिंग को पश्चिमी अवधारणा बताया और वह गलत भी नहीं हैं। लिंचिंग का संबंध पश्चिम खासकर अमेरिका से है जहां अमेरिकी गृहयुद्ध के आसपास ऐसी घटनाएं सामने आईं। तब दासप्रथा के समर्थक अश्वेतों को निशाना बनाकर नस्ली श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करते। ऐसे माहौल में ही इस किस्म के जघन्य अपराध अंजाम दिए जाते थे। हालांकि भारत में जहां हम सभी का मूल एक ही है तो ऐसा संदर्भ सर्वथा अनुचित है। लिंचिंग एक ऐसा अत्याचार है जहां पीड़ितों को अलग-अलग निगाह से देखा जाता है। इसकी तमाम मिसालें भी हैं। इस

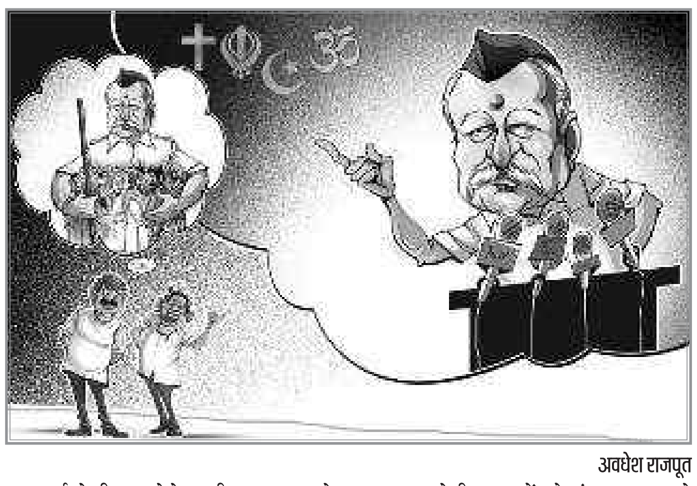

अवधेश राजपूत

साल मई से ही अब ऐसे तकरीबन 37 मामले सामने आए जहां मुस्लिमों ने हिंदुओं पर हमला किया, पर ये सुर्खियों में नहीं छाए। ऐसा मीडिया के पक्षपाती रुख और कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के चलते होता है जो अपने एजेंडे के चलते अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इन अपराधों को उस लहजे में परोसते हैं जिसे पश्चिम में आसानी से समझा जा सके। इस तरह वे लिंचिंग का तानाबाना बुनते हैं जिसमें पीड़ित-हमलावर की पहचान हमेशा मायने रखती है।

लिंचिंग एक भारी-भरकम शब्द है जिसका आशय एक खास तबके के लोगों के योजनाबद्ध 'सफाये' से है। जबकि तथ्य यह है कि देश में ऐसे अपराध 2014 से पहले भी होते आए हैं और यहां तक कि भारत का विभाजन भी ऐसी घटनाओं का परिणाम था। तब मुस्लिम अपने लिए अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। यह प्रश्न अवश्य उठना चाहिए कि ऐसे लोगों का क्या एजेंडा है जो बड़े ढीठ तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार एक तबके की गलत छवि पेश करते हैं? ऐसे लोग तब मुंह फेर लेते हैं जब वही तबका पीड़ित होता है। अगर हम ऐसी लड़ाइयों को बंद करना चाहते हैं तो हमें दोषारोपण की कवायद से ऊपर उठकर समस्या के मूल में जाना होगा। असल में समस्या लोगों की उस मानसिकता में है जो यह सोचते हैं कि वे कानून अपने हाथ में लेकर अपने हिसाब से इंसाफ कर सकते हैं। हिंसक भीड़ के ऐसे वाकये हमने अस्पतालों में भी देखे हैं। हाल में अपने एक करीबी की देखभाल के लिए मैं अस्पताल गई तो वहां ऐसे बोर्ड देखे जिसमें लोगों को अस्पताल स्टाफ के साथ हिंसक तरीके से पेश आने को लेकर हिदायत दी गई थी। यह स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया थी जिसमें लोगों ने अपने प्रियजनों की मौत के बाद डॉक्टरों और नर्सों पर हमले किए थे। हिंसक भीड़ की उस घटना का भी उदाहरण लें जिसमें असम में बच्चा चोरी की अफवाह में दो लोगों को धर लिया गया।

ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। ये मामले चिंतित करते हैं, लेकिन हिंसक भीड़ के इन मामलों को लिंचिंग नहीं कहा गया। इस तरह आप देखेंगे तो उन्हीं मामलों को लिंचिंग करार दिया गया जहां पीड़ित मुस्लिम हों। जब कोई पीड़ित हिंदू होता है तो आखिर उसे लिंचिंग क्यों नहीं कहा जाता? सभी भारतीयों को यह प्रश्न अवश्य करना चाहिए, भले ही उनका मजहब कुछ भी हो। इसका जवाब इसके पीछे छिपे उस एजेंडे को उजागर करेगा जिसका मकसद दो वर्गों के बीच विभेद पैदा करना है और इस सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है।

वर्ष 2019 में पीएम मोदी को मिला जनादेश बेहद निर्णायक है। सरसंघचालक ने एकदम सही कहा कि अगर 2014 की जीत पूर्ववर्ती सरकार से जनता के मोहभंग का परिणाम थी तो यह जनादेश मौजूदा सरकार के प्रदर्शन पर मुहर लगाता है। बढ़ी सीटें यही दर्शाती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस निरंतर होने वाले दुष्प्रचार को देख रहे हैं और पीएम मोदी जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, वे उसमें भरोसा जता रहे हैं। संक्षेप में कहें तो यह दुष्प्रचार कारगर नहीं रहा। दो वर्गों को बांटने के इस खतरनाक खेल से व्यापक सांप्रदायिक हिंसा नहीं भड़की। मुस्लिम भाई भी इस उकसावे में नहीं आए। ऐसे में दुष्प्रचार करने वालों का एजेंडा नाकाम हुआ और आगे भी इसकी यही परिणति होगी। हालांकि इन खतरनाक परिस्थितियों में कुछ निहित स्वार्थी एवं राजनीतिक हितों के वशीभूत लोग भारत की विकास गाथा को पटरी से उतारना चाहते हैं। एक आम भारतीय होने के नाते इस समय हमें भाईचारे और सहयोग की भावना सुनिश्चित करनी होगी। विजयादशमी के अवसर पर सरसंघचालक ने अपने संबोधन में यही संदेश दिया कि हमें समावेशन और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से उनके संबोधन की मंशा भले ही स्वयंसेवकों को प्रेरित करने की हो, लेकिन उसमें हम सभी के लिए सीख और संदेश निहित है।

(स्तंभकार जानी मानी पटकथा लेखक हैं)
response@jagran.com

इतिहास की गलती सुधारने का समय

अवधेश कुमार

देश विभाजन के वक्त पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के प्रति जिस दायित्व से भारत ने पल्ला झाड़ा था अब उसे पूरा किया जाए

पाकिस्तानी संसद ने एक विधेयक को पेश होने से पहले ही खारिज कर दिया जिसमें संविधान संशोधन के जरिये गैर मुस्लिमों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने का प्रावधान था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ईसाई सांसद डॉ. नवीद आमिर जीवा इसके लिए संविधान संशोधन कराना चाहते थे। इसकी चर्चा करते ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मानो तूफान आ गया। संसदीयकार्य राज्यमंत्री अली मुहम्मद ने इसका वरोध किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य है जिसमें गैर-मुस्लिम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। कई विपक्षी सदस्यों ने भी सरकार का समर्थन किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तानी संविधान की धारा 41 में स्पष्ट लिखा है कि प्रधानमंत्री होने के लिए मुस्लिम होना अनिवार्य है। इसी तरह धारा 91 में राष्ट्रपति की अर्हता है। यानी कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन या ईसाई वहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे धर्म बदलकर मुसलमान बनना होगा।

इसके पीछे तर्क यह है कि जब देश का विभाजन ही हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ तो वहां मुसलमानों को ऐसा विशेषाधिकार स्वाभाविक है। भारत के सामने भी ऐसा मजहबी संविधान बना देने में समस्या नहीं थी। इसका उत्तर यही है कि हिंदू दर्शन में ऐसे किसी मजहबी राज्य की कल्पना ही नहीं है। जिस राजव्यवस्था का हमारे प्राचीन साहित्य में विवरण है वहां मौजूदा थियोक्रेटिक स्टेट यानी मजहबी राज्य नहीं था। इसलिए भारत वैसा हो ही नहीं सकता है। यह है दोनों देश के चरित्र में अंतर। सभी इस्लामिक गणराज्यों में ऐसे ही संविधान हैं। मोहम्मद अली जिन्ना एक गैर मजहबी व्यक्ति थे। उन्होंने विभाजन के बाद अपनी संविधान सभा में साफ कहा था कि यहां रहने वाले सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार होगा। पहले स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में जिन्ना ने कहा था कि हम रंग और नस्ल के भेदभाव से परे देश बनाकर दिखाएंगे। जिन्ना ने भारत से दलितों की हितसाधना के लक्ष्य से पाकिस्तान गए जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया। मगर जिन्ना के जीवनकाल में ही पाकिस्तानी नेताओं का भयावह मजहबी व्यवहार दिखने लगा था।

जिन्ना के वादे के कारण लाखों हिंदू और सिखों ने स्वेच्छा से पाकिस्तान में रहना स्वीकार किया। मगर जो स्थिति बनती गई उसमें उनके लिए पाकिस्तान में अपनी

संस्कृति और परंपरा ही नहीं, बल्कि इज्जत और संपत्ति तक की रक्षा मुश्किल होती गई। जैसी हिंसा और लूट के साथ जबरन धर्मांतरण का सामना हिंदुओं को करना पड़ा, उसका विवरण रोंगटे खड़े करता है। अल्पसंख्यकों की संपत्तियों के लिए जो शत्रु संपत्ति कानून बना उसका भयंकर दुरुपयोग हुआ। संपत्तियों पर जबरन कब्जा सामान्य बात हो गई और इसके खिलाफ शिकायत के लिए कहीं कोई जगह नहीं। विडंबना देखिए कि जिन दलित हिंदुओं को विभाजन के पूर्व मुस्लिम लीग ने यह कहकर साथ लिया था कि सवर्ण हिंदू तो आपको अपना भाई मानते नहीं, लेकिन पाकिस्तान आपको बराबरी का दर्जा देगा, उनका ही सबसे अधिक उत्पीड़न किया गया।

यहां जोगेंद्र नाथ मंडल की चर्चा जरूरी है। 1940 के दशक में वह दलितों के बड़े नेता बन चुके थे, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर के विपरीत वह मुस्लिम लीग के साथ जुड़ गए। विधि मंत्री के साथ वह पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य भी बने, मगर वहां अपने ही लोगों के साथ मजहबी बर्बरता के सामने वह असहाय थे। इससे आजिज आकर आठ अक्टूबर, 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को उन्होंने जो लंबा पत्र लिखा वह पाकिस्तान का सच समझने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने लिखा कि 'पूर्वी पाकिस्तान के पिछड़े हिंदुओं के उत्थान के अपने मिशन में विफल रहने की कुंठा के चलते मैं यह कदम उठा रहा हूं। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भविष्य में पाकिस्तान हिंदुओं के लिए रहने लायक नहीं रह जाएगा। धर्मांतरण और दमन की राजनीति के कारण उनके लिए केवल अंधेरा ही रहेगा। मैं अपनी आत्मा की आवाज कैसे दबा सकता हूं और कैसे पाकिस्तानी हिंदुओं को यह भरोसा दिला सकता हूं कि भविष्य में उनके साथ न्याय होगा?' यह था पाकिस्तान का सच जिसे मंडल ने व्यक्त किया। ऐसे पाकिस्तान में, जिसके निर्माताओं में से एक ने कहा कि भविष्य में यह हिंदुओं के रहने लायक नहीं रह जाएगा वहां यह कल्पना नहीं की जा सकती कि कोई गैर मुस्लिम दो शीर्ष पदों पर पहुंच सकता है। मंडल हिंदू थे इसलिए अपने समुदाय के बारे में बात की। दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भी यही स्थिति थी। इसीलिए भारत में समुदायों की अदला-बदली की भी मांग जोर से उठी थी। सिख नेता मास्टर तारा सिंह इसकी सबसे बड़ी आवाज बने थे। भारत को इन मांगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन हुआ अजीब।

तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली खान से बात की। वह दिल्ली आए। छह दिनों की वार्ता के बाद दोनों नेताओं के बीच आठ अप्रैल, 1950 को एक समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों ने अपने यहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वचन दिया। इसके बाद दोनों देशों में अल्पसंख्यक समितियां गठित हुईं। यह अदूरदर्शितापूर्ण कदम था। भारत में तो अल्पसंख्यकों के लिए समस्या थी ही नहीं। समस्या पाकिस्तान में थी। इस समझौते ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को निराश्रित कर दिया। मंडल ने अपने पत्र में लिखा था कि पूर्वी बंगाल व मुस्लिम लीग ने नेहरू-लियाकत समझौते का इस्तेमाल केवल कागज के एक टुकड़े के रूप में किया। भारत सरकार उस समय अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर सकी। परिणाम सामने है। अल्पसंख्यक वहां धीरे-धीरे खत्म होते गए। जो पाकिस्तान हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों और ईसाइयों आदि के लिए तब था, आज भी वही है। इसी कारण मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार जिस नागरिकता कानून की बात कर रही है उसका मकसद समझ में आता है। भारत ने जिस जिम्मेदारी से तब पल्ला झाड़ा था कम से कम अब उस भूल का परिमार्जन होना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

भक्ति है तो भगवान हैं

अगर आप खुद को एक मशीन के रूप में देखें तो आपके पास शरीर है, दिमाग है, आपके पास सब कुछ है। जिसे आप कृपा कहते हैं वह एक चिकनाई की तरह होती है। आपका इंजन कितना भी मजबूत क्यों न हो बिना इस चिकनाई के आप हर जगह अटक जाएंगे। इस पृथ्वी पर अनेक लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, क्षमतावान हैं, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर अटक जाते हैं, क्योंकि उनके पास कृपा की चिकनाई नहीं होती। कुछ लोगों के जीवन में भरपूर कृपा है और उनका जीवन आनंदमय है, जबकि कुछ लोग हर छोटी-छोटी चीज को लेकर जीवन के साथ जूझ रहे हैं। जीवन के सफर को आनंदमय बनाने के लिए कृपा प्राप्त करनी होगी और इसे पाने का सबसे आसान तरीका भक्ति है, लेकिन बुद्धि बहुत चालाक है, यह किसी की भक्त नहीं बन सकती। आप भक्ति गीत गा सकते हैं, लेकिन बुद्धि तर्क करती है, हिसाब लगाती है। एक मतलबी बुद्धि कभी भी भक्ति नहीं कर सकती।

एक भक्त किसी व्यक्ति का भक्त नहीं होता, भक्ति तो एक गुण है। भक्ति का अर्थ है खुद को किसी एक लक्ष्य को सौ फीसद सौंप देना। जब कोई व्यक्ति निरंतर एक दिशा में ऐसे केंद्रित हो जाए कि उसके विचार, भावनाएं और सब कुछ एकाग्र हो जाएं तब वह कृपा का पात्र हो जाता है, उसके ऊपर कृपा स्वाभाविक है। आप किसके प्रति समर्पित हैं या किसके भक्त हैं, मुद्दा यह नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि मैं भक्त बनना चाहता हूं, पर आपके मन में यह संदेह है कि ईश्वर है भी या नहीं, फिर आप भ्रम में हैं। जिसे मैं भक्ति कहता हूं उसकी गहराई ऐसी है कि यदि ईश्वर नहीं भी हो तो भी वह उसका सृजन कर सकती है, उसको उतार सकती है। भक्ति का अर्थ राम-राम कहना नहीं है-जो इंसान अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त है, जो अपने काम में पूरी तरह समर्पित है, वही सच्चा भक्त है। उसे भक्ति के लिए किसी देवता की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति इसलिए नहीं आई, क्योंकि भगवान हैं। चूंकि भक्ति है इसीलिए भगवान हैं। यह एक प्रकार का परस्पर भाव ही अधिक है।

सद्गुरु

शिक्षा में संगीत का महत्व

बाल मुकुंद ओझा

अब स्कूली बच्चे गीत-संगीत के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, ताकि उनको सकारात्मक वातावरण मिल सके

पठन-पाठन को संगीत फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार तरह-तरह के प्रयोग करने में जुटी है। अब स्कूली बच्चे गीत और संगीत के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, ताकि उनको सकारात्मक और आनंददायक वातावरण मिल सके। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इसके लिए स्कूलों को बाकायदा एक दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि लंच ब्रेक या मिड डे मील दिए जाने के दौरान स्कूलों में बच्चों की उम्र के अनुसार गीत-संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। गाने बजाने के ऐसे कार्यक्रम आवश्यकता के अनुसार पढ़ाई के दौरान भी किए जा सकते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि संगीत से बच्चों की ग्रहणशीलता बेहतर होती है। इससे ठहराव और शांति की भावना भी विकसित होती है।

जिस प्रकार हमारा मन और शरीर आत्मा के बिना अधूरे हैं उसी प्रकार जीवन भी संगीत के बिना अधूरा है। आजादी के बाद शुरू के चार दशकों में दैनंदिन गतिविधियों के साथ स्कूलों में हर सप्ताह एक दिन छात्र सभा का आयोजन कर गीत-संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे जिनमें बड़ी संख्या में छात्र उत्साह के साथ भाग लेते थे। पूरे सप्ताह छात्र उसकी तैयारियां भी करते थे। यहां तक कि अभिभावक भी घरों में बच्चों को गाने-बजाने के काम में सहयोग देते थे। गाने-बजाने के अलावा भाषण, निबंध, चित्रकला आदि का आयोजन भी होता था। धीरे-धीरे ऐसे आनंद देने वाले आयोजन घटते गए। अब सरकार एक बार फिर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली शिक्षा का बोझिल वातावरण पलटना चाहती है तो इसे स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है।

निश्चय ही गीत-संगीत को प्रभावशाली एवं उपयोगी माध्यम बनाकर पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने का यह एक अभिनव प्रयास होगा। सरकार को चाहिए कि गीत-संगीत के माध्यम से बच्चों को समाज में व्याप्त कुप्रथाओं के बारे में भी जानकारी दे और चित्रकला के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने का प्रयास करे। चित्रों के माध्यम से बच्चों को उनकी धरोहर एवं संस्कृति का ज्ञान दिया जा सकता है। साथ ही उनके अंदर की कला को भी जागृत किया जा सकता है। गीत प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी छात्र-छात्राओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत की जा सकती है। यह संपूर्ण कवायद तभी पूरी होगी जब स्कूलों के पास गीत-संगीत की सभी सुविधाएं यथा कला शिक्षक और विभिन्न वाध यंत्र आदि उपलब्ध होंगे।

संगीत मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है। संगीत गायन, वादन एवं नृत्य का आकर्षक और मनमोहक समावेश है। संगीत हमारा मनोरंजन करने के साथ सुकून भी देता है। जीवन में संगीत का बहुत महत्व है। संगीत से हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। संगीत शारीरिक और मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रखता है। जीवन में खुश और व्यस्त रहने के लिए संगीत सबसे अच्छा तरीका है। जीवन में संगीत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों को भी संगीत से अथाह स्नेह है। सुख-दुख के हर क्षण में संगीत का अप्रतिम योगदान है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

मेलबाक्स

नवाचार पर देना होगा ध्यान

आर्थिक सुस्ती तोड़ने का सही उपाय शीर्षक से लिखे अपने लेख में विवेक कौल ने आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रहे देश को बाहर निकालने के लिए (बीमार) सरकारी कंपनियों और उनकी (बेकार पड़ी) जमीनों को बेचने और उनसे मिले पैसों को बुनियादी ढांचे के विस्तार में लगाने की सलाह दी है, ताकि रोजगार सृजन कर उपभोक्ता मांग को बढ़ाया जा सके, लेकिन जैसा कि लेखक ने स्वयं माना है कि लोकप्रिय सरकारों के लिए एक झटके में ऐसा कर पाना अत्यंत कठिन काम है। ऐसे में प्रश्न यह है कि लोगों की आय बढ़ाकर उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, ताकि निवेश का माहौल बने और उद्योगों की सेहत भी सुधरे। एक उपाय तो यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। इसके लिए जरूरत होगी नवाचार को अपनाने की और नए अनुसंधानों के ऊपर खर्च बढ़ाने की। यदि हमारे उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होगी और वे प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध होंगे तो उनकी मांग विश्व भर के बाजारों में होगी। सूचना तकनीकी और स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने अपना परचम लहराया है और अब बारी है मैन्यूफैक्चरिंग में मेहनत करने की। इस क्षेत्र में हम चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं।

चंदन कुमार, देवघर

कांग्रेस को चाहिए सक्षम नेतृत्व

दैनिक जागरण के 10 अक्टूबर के अंक में संपादकीय आलेख, कांग्रेस का आत्ममंथन, में सही लिखा है कि कांग्रेस किधर जा रही है यह कांग्रेस के नेता भी नहीं जानते। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस जन हमेशा परिवार से किसी चमत्कार की आस लगाए रहते हैं। आम चुनाव में मिली पराजय के बाद आत्ममंथन करने के बजाय राहुल गांधी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर अपने दायित्व से किनारा कर गए। बेशक राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीत गए, लेकिन पारिवारिक सीट अमेठी हारने से निश्चय ही उनका आत्मविश्वास डगमगा गया होगा। अमेठी में कांग्रेस की यह पहली हार नहीं है, वर्ष 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी व संजय गांधी दोनों रायबरेली व अमेठी से चुनाव हार गए थे, किंतु 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और दोनों सीटें फिर से जीत लीं। किंतु वह इंदिरा गांधी का जलवा था, अब कांग्रेस सोनिया गांधी पर निर्भर है, जब महाराष्ट्र व हरियाणा में विधान सभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है तब राहुल गांधी का विदेश यात्रा पर चले जाना उनकी राजनीतिक क्षमता पर प्रश्नचिह्न खड़े करता है। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं और अचेत कांग्रेस में प्राण फूंकना अकेले उनके बस की बात नहीं है। राहुल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रियंका गांधी का नाम चर्चा में अवश्य रहा, किंतु पार्टी हिम्मत नहीं जुटा सकी। संभवतः प्रियंका बेहतर विकल्प हो सकती थीं। यदि कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो उसे एक सक्षम नेतृत्व की तलाश करनी ही होगी, अन्यथा उसका नाम इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

फर्जीवाड़े पर प्रहार

देश के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों से फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए इन्हें जियो टैग से जोड़ने की सरकार की योजना है। इसके लिए इनका व्यापक सर्वे होगा, ताकि इनका पूरा और सही विवरण आसानी से मिल सके। इससे किसी भी स्कूल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यदि वास्तव में ऐसा पारदर्शी सर्वे और कार्य होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार होगा। ऐसे ही सर्वे और सुधार की आज हर जगह जरूरत है। आशा है सरकार इस पर भी जल्द कुछ करेगी। स्कूल ही शिक्षा के असली मंदिर हैं, जिनके व्यापक और पारदर्शी सुधार के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता।

वेद मामूरपुर, नरेला

यह है जीवन

प्रेम सही अर्थ में अत्यंत सरलता का सूचक है। प्रेम वहां निवास करता है जहां शांति होती है। दिल में शांति है तो प्रेम है। मानसिक उथल-पुथल में प्रेम की कल्पना करना बेईमानी है। मनुष्यता, प्रेम व रिश्ता ये सभी एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में बाकी सबका कोई अस्तित्व नहीं है। इन तत्वों की मौजूदगी आत्मसंयम व आत्मसंतुष्टि ही होती है।

शोभित शुक्ला, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।